अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2022 (GCMS 2022/28)(आईटीआई पोर्टल नं. 212023705284951) (पोस्टल ऑर्डर नं.. 52एफ/314699) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा एवं रिकॉर्ड शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया था कि उसने प्रथम अपील अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अति. संभागीय आयुक्त एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, बीकानेर के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की थी। संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2021 से अपील जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में वांछित सूचनाएं दिलवाने हेतु प्रेषित की है और निवेदन किया है उनके द्वारा वांछित सूचना विधिक पारदर्शी एवं निःशुल्क देय है तथा वांछित सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय दिनांक 01.09.2021 की पालना में चाही गई है। इसलिए उसे वांछित सूचनाएं दिलवाने एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार एवं स्थापना शाखा ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/–शास्ति अधिरोपित करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अति. संभागीय आयुक्त, बीकानेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक अपील पेश की थी, जिसमें उन्होने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2021 के पैरा संख्या 08 में निम्न आदेश पारित किये है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:21 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता को नहीं देखते हुए अपील अपीलार्थी का निस्तारण किया जाकर प्रत्यार्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय से संबंधित सूचना यथा बिन्दु संख्या 01 की सूचना जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र द्वारा पुनः प्रेषित करावें तथा शेष बिन्दुओं यथा 2 से 10 तक की सूचना उपलब्ध नहीं होने के संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी को सक्षम प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे। इस आश्य की सूचना से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को 15 दिवस में अवगत करावें।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(3) पेश नहीं किया है अपितु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं स्थापना शाखा द्वारा अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति पेश की है। **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रभारी अधिकारी, वाचक शााखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 02.09.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्होंने अपने पत्रांक 77 दिनांक 30.09.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब पेश किया है:**

बिन्दु संख्या 1	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा उनके पत्रांक 413( )संआबी/मोनी/आरटीआई/19/542 दिनांक 19.08.2021 से इस कार्यालय को सूचित कर प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है।
बिन्दु संख्या 2 से 9 तक	फर्द अहकाम 54 पृष्ठ आदेश 80 पृष्ठ, अप्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति 21 पृष्ठ कुल 155 पृष्ठ @ 2/– रूपये प्रति पृष्ठ कुल राशि 310/– रूपये राजकोष जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।
बिन्दु संख्या 10	स्थापना [illegible]

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) [illegible] अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(28)([illegible] 9/7580 दिनांक 08.10.2021 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, श्रीगं[illegible]गर को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 10 के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना का प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चाही गई सूचना	उत्तर
1	बिन्दु संख्या 10 : प्रथम अपीलीय अधिकारी शाखा में जो जो कर्मचारी व अधिकारी काम कर रहे है, जिस अवधि से कार्यरत है। उनके नाम व पद की सूचना ।	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे)के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधी सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।

-sd-
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

चूंकि अति. संभागीय आयुक्त, बीकानेर प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा/जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी अपीलार्थी को उक्तानुसार निशिचित समयावधि में सूचित किया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में [illegible] सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है**। इस **अधिनियम के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। बिन्दु संख्या 2 से 9 की सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 30.09.2021 को निश्चित समयावधि में ही सूचित किया जा चुका है इालिए अपीलार्थी वांछित राशि राजकोष में जमा कर वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखाकार से प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार/स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:21 IST
Reason: SelfAttested

(रुकमणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर